किसान द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने की प्रकिया

1) किसान को www.agriharyanaofwm.com पोर्टल के होम पेज पर किसान पंजीकरण / Farmer Registration पर क्लिक करना होगा।
2) किसान को ऑनलाईन आवेदन के दौरान प्रोजेक्ट चुनना होगा जैसेः
   – UGPL (भूमिगत पाईपलाईन)
   – Micro-Irrigation (सुक्ष्म सिंचाई) – Sprinkler, Mini-Sprinkler & Drip
3) भूमिगत पाईपलाईन के लिए ऑनलाईन आवेदन तथा अन्य प्रकिया पूर्व की भांति रहेगी।
4). सुक्ष्म सिंचाई संयत्र के लिए किसान को निम्नलिखित में से किसी एक को चुनना होगाः
   – CADA Projects
   – Over Exploited Blocks and Siwani Block
   – Mewat District
   – Others

   अ) यदि गांव CADA Projects के अंतर्गत आता है तो परियोजना का चयन करते हुए अपने नाम का चयन करें तथा सुक्ष्म प्रणाली के लिए ऑनलाईन आवेदन करें।
   ब) यदि गांव Over Exploited Blocks अथवा सिवानी खण्ड में चयनित हो तो Over Exploited Blocks परियोजना को चुने तथा जिला, खण्ड और गांव का चयन दी गयी सूचि से करते हुए सुक्ष्म प्रणाली के लिए ऑनलाईन आवेदन करें।
   स) यदि गांव मेवात जिले में स्थित हैं तो मेवात जिला प्रोजेक्ट चुने तथा खण्ड और गांव का चयन करते हुए सुक्ष्म प्रणाली के लिए ऑनलाईन आवेदन करें।
   द) यदि गांव अ, ब तथा स के अंतर्गत नहीं आता है तो अन्य (others) का चयन करें तथा सुक्ष्म प्रणाली के लिए ऑनलाईन आवेदन करें।
5) आवेदन अनुमोदित होने के उपरांत चुनी गई प्रणाली का अनुमान अपलोड करना होगा।
6) अनुमान के ऑनलाईन अनुमोदन के उपरांत पोर्टल पर एक अदायगी चालान generate होगा जिसका प्रिंट लेना होगा।
7) अदायगी चालान में एक 14 Alphanumeric characters का यूनिक वर्चुअल अकाउंट नंबर प्रिंट होगा (यह अकाउंट नंबर हर चालान के लिए अलग होगा। इस अदायगी चालान पर देय राशि (किसान का हिस्सा) अंकित होगी तथा यह राशि अदायगी चालान के माध्यम से उक्त वर्चउल अकाउंट में जमा करनी होगी। यह राशि RTGS अथवा NEFT के माध्यम से जमा की जाएगी। HDFC BANK LTD में जमा की गई राशि का विवरण 24 घण्टे के अन्दर सम्बन्धित आवेदन में ऑनलाईन देखा जा सकता है।
8) सुक्ष्म सिंचाई संयत्रों पर अनुदान राशि निम्नप्रकार से देय होगीः–
   क) सुक्ष्म सिंचाई संयत्रों पर कुल लागत का 85 प्रतिशत अनुदान सभी वर्गो के किसानो को देय होगा। परन्तु एलुमिनियम आधारित फव्वारा संयत्र पर अनुसूचित श्रेणी के किसानो को 28,650/– रूपये, लघु एवं सीमांत श्रेणी के किसानो को 23,600/– रूपये तथा अन्य श्रेणी के किसानो को 20,225/– रूपये अनुदान राशि देय होगी।
   ख) खण्ड बाढ़ड़ा, बहल, कैरू, लोहारू, तोशाम, सिवानी, टोहाना, फरूखनगर, पटौदी, सोहना, गुरूग्राम, गुहला, राजोन्द, लाडवा, पेहवा, शाहाबाद, करनाल, बापोली, समालखां, रानिया, एलेनाबाद, फरीदाबाद, बल्बगढ़, नांगल चौधरी, नारनौल, कनीना, अटेली, महेन्द्रगढ़, खोल, पलवल, हसनपुर, हथीन, होडल, जगाधरी, मुस्तफाबाद, रादौर, सढ़ौरा, मेवात जिले के सभी खण्डों तथा काडा की 14 परियोजनाओं के अंतर्गत आने वाले किसानों को सुक्ष्म सिंचाई संयत्र की कुल लागत की केवल जी0एस0टी0 राशि ही अपने वर्चुअल अकाउंट में जमा करनी होगी। परन्तु यह शर्त एलुमिनियम आधारित फव्वारा संयत्र पर लागू नहीं होगी।
   ग) राज्य के अन्य खण्डों के किसानो को सुक्ष्म सिंचाई संयत्र की कुल लागत का 15 प्रतिशत हिस्सा तथा जी0एस0टी0 राशि वर्चुअल अकाउंट में जमा करनी होगी।
   घ) यदि कोई किसान सुक्ष्म सिंचाई संयत्र की पूर्ण राशि अपने वर्चुअल अकाउंट में जमा करता है तो अनुदान राशि वर्चुअल अकाउंट के माध्यम से उसके बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी। किसान द्वारा स्थापित प्रणाली के भौतिक सत्यापन उपरांत वर्चुअल अकाउंट में जमा की गई राशि को सम्बन्धित फर्म को अदा किया जाएगा।
   च) यदि कोई किसान केवल अपने हिस्से की राशि वर्चुअल अकाउंट में जमा करता है तो किसान द्वारा स्थापित प्रणाली के भौतिक सत्यापन उपरांत किसान के वर्चुअल अकाउंट में विभाग द्वारा अनुदान राशि जमा करवाते हुए अदायगी सम्बन्धित फर्म को की जाएगी।
   छ) यदि किसी किसान द्वारा स्थापित की गई प्रणाली की कुल लागत से अधिक राशि वर्चुअल अकाउंट में जमा की गई हो तो शेष राशि को किसान द्वारा दिए गए बैंक विवरण में वापिस जमा किया जाएगा।
9) किसान अपने आवेदन तथा अन्य जानकारी https://agriharyanaofwm.com/apps/ अपने Mobile App download करने उपरांत प्राप्त कर सकते है।
10) अन्य जानकारी के लिए कृषि निदेशालय के कॉल सेंन्टर नं0– 1800–180–2117 पर सर्म्पक कर सकते है।